न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 21/2018

अपीलांट

अभिमन्यु उर्फ भरतसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह जाति चारण निवासी ग्राम रूपावास तहसील पाली जिला पाली (राज.)

रेस्पोडेन्टस्

1. प्रघुम्मन सिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह जी
2. रघुवीर सिंह पुत्र उगमकंवर बेवा अर्जुन सिंह जी सभी जातिगण चारण, निवासीगण ग्राम रूपावास तहसील पाली जिला पाली
3. स्टेट जरिये तहसीलदार, पाली (राज,)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1. श्री मनोहर दास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से

—: निर्णय :—

दिनांक : 18.03.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा प्रकरण संख्या 67/2017 अभिमन्यु बनाम प्रघुमनसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.02.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद एवं 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें मौजा ग्राम रूपावास तहसील पाली जिला पाली में खसरा नम्बर 137/2 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा भूमि की खातेदारी घोषणा एवं राजस्व रेकर्ड में अभिमन्यु के स्थान पर अभिमन्यु उर्फ भरतसिंह नाम करवाने हेतु निवेदन किया। उक्त वाद कायमी तकनीयात की स्टेज पर लम्बित था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैंप रूपावास में दिनांक 15.07.2017 को वास्ते सुनवाई नियत किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 15.07.2017 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उसके पश्चात अपीलांट द्वारा वाद को पुन दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.02.2018 द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प रूपावास में दिनांक 15.07.2017 को वास्ते

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सुनवाई नियत किया गया था किन्तु उक्त सुनवाई हेतु अपीलांट को जारी नोटिस न ही अपीलांट द्वारा तामिल हुए एवं न उक्त कैम्प की सूचना अपीलांट के अधिवक्ता को दी गई। जिससे कैम्प में उपस्थित आने हेतु बार–बार आवाजे दिलवाने का कोई औचित्य ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया गया है कि नोटिस रघुवीरसिंह द्वारा प्राप्त किये गये है जबकि रघुवीरसिंह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं है एवं वह अपीलांट से अलग रहता है। अपीलांट एक सरकारी कर्मचारी है जो अक्सर अपने नौकरी के सिलसिले में जिला मुख्यालय से बाहर रहता है। लोक अदालत कैम्पो में दोना पक्षकारान की आपसी सहमति एवं राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय निर्देश जारी किये गये है। बिना आपसी राजीनामे व सहमति के कोई प्रकरण निर्णित करने का प्रावधान लोक अदालत कैम्पों के दौरान नहीं है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवई को अवसर दिये एवं बिना तकनीयात कायम किये अदम हाजिरी अदम पैरवी में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलांट अपने हक अधिकारो से महरूम रह जायेगा। अपीलांट अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रख पायेगा। जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 खारिज फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद एवं 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें मौजा ग्राम रूपावास तहसील पाली जिला पाली में खसरा नम्बर 137/2 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा भूमि की खातेदारी घोषणा एवं राजस्व रेकर्ड में अभिमन्यु के स्थान पर अभिमन्यु उर्फ भरतसिंह नाम करवाने हेतु निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में अपीलांट को प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प रूपावास के नोटिस जारी किये गये। किन्तु अपीलांट द्वारा जानबूझकर उक्त कैम्प में उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बार–बार आवाजे लगाने के पश्चात कोई उपस्थित नहीं आने की सूरत में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद खारिज किया है उसके पश्चात अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमे अपीलांट द्वारा अपने कथनो को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साबित नहीं कर पाये। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.02.2018 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो कि पूर्णतया विधिसम्मत हैं। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद एवं 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौजा ग्राम रूपावास तहसील पाली जिला पाली में खसरा नम्बर 137/2 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा भूमि की खातेदारी घोषणा एवं राजस्व रेकर्ड में अभिमन्यु के स्थान पर अभिमन्यु उर्फ भरतसिंह नाम करवाने हेतु निवेदन किया। विचाराधीन वाद कायमी तकनीयात की स्टेज पर लम्बित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैंप रूपावास में दिनांक 15.07.2017 को वास्ते सुनवाई नियत किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 15.07.2017 को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उसके पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपीलांट द्वारा वाद को पुन दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.02.2018 द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प के संबध में जो नोटिस जारी किया गया उक्त नोटिस रघुवीरसिंह के नाम से तामिल होकर प्राप्त हुआ चूंकि रघुवीरसिंह अपीलांट का बडा भाई है अतः तामिली सम्यक तामिल की श्रेणी में आती है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को उक्त प्रकरण के संबध में पूर्णतया जानकारी थी। अब हस्तगत प्रकरण में मूल प्रश्न यह उठता है कि क्या न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट में बिना आपसी राजीनामे के निर्णय किया जा सकता है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise "implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा प्रकरण संख्या 67/2017 अभिमन्यु बनाम प्रघुमनसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 27.02.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पुनः दर्ज किया जाकर अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली